[दि कलेक्शन आफ स्टेटिस्टिक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

सांख्यिकीय संग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2017

सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 का संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सांख्यिकीय संग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 1 का संशोधन ।

2. सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

2009 का 7

"(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है :

परंतु यह जम्मू-कश्मीर राज्य को वहां तक लागू होगा, जहां तक इसका संबंध संविधान की सातवीं अनुसूची में, सूची-1 (संघ सूची) या सूची-3 (समवर्ती सूची) में विनिर्दिष्ट प्रविष्टियों में किसी के अंतर्गत आने वाले विषयों से, जो उस राज्य को लागू है, संबंधित सांख्यिकी से है ।"।

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(घक) "नोडल अधिकारी" से धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन नोडल अधिकारी के रूप में अभिहित अधिकारी अभिप्रेत है ;'।

नई धारा 3क का अंतःस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

नोडल अधिकारी ।

"3क. (1) केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अपने एक अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन सांख्यिकीय के प्रयोजनों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में अभिहित करेगा ।

(2) नोडल अधिकारी, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे सांख्यिकीय कार्यकलापों का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा, जिसमें उसे अभिहित किया गया है और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं ।"।

धारा 9 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) सांख्यिकी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति या अभिकरण सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए धारा 6 के अधीन दी गई सूचना का उपयोग ऐसी रीति में करेगा, जो विहित की जाए ।"।

धारा 33 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 33 में,--

(i) उपधारा (1) में, "केंद्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात्, "पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में,--

(अ) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(कक) सांख्यिकी अधिकारी द्वारा धारा 3क की उपधारा (2) के अधीन सांख्यिकीय क्रियाकलापों का समन्वय और पर्यवेक्षण तथा सांख्यिकी अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य ;";

(आ) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(घक) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के उपयोग की रीति ;"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7), केंद्र या राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के मंत्रालयों या विभागों द्वारा या स्थानीय सरकारों द्वारा आर्थिक, जनसांख्यिकीय, सामाजिक, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर सांख्यिकी के संग्रहण को सुकर बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम 11 जून, 2010 को प्रवृत्त हुआ और इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

2. जम्मू-कश्मीर विधान मंडल द्वारा अधिनियमित जम्मू-कश्मीर सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2010 का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य पर है ।

3. सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 और जम्मू-कश्मीर सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2010 में संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू) आदेश, 1954 के अधीन जम्मू-कश्मीर को लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 (संघ सूची) में विनिर्दिष्ट विषय समाविष्ट नहीं है । केंद्रीय विधि जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू सूची 3 (समवर्ती सूची) में विनिर्दिष्ट विषयों को लागू नहीं होती है । इस प्रकार जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू संघ सूची या समवर्ती सूची में सांख्यिकीय विषयों की बाबत विधायी शून्यता है ।

4. सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्यक्षेत्रों या स्थानीय सरकार में सांख्यिकीय क्रियाकलापों का समन्वय और पर्यवेक्षण करने के लिए किसी व्यक्ति को सशक्त नहीं करता है । इसलिए यह प्रस्ताव है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सांख्यिकीय क्रियाकलापों का समन्वय और पर्यवेक्षण करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में अपने अधिकारी अभिहित करें ।

5. विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित हैं--

(क) सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य तक करना, जहां तक यह उस राज्य को लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 (संघ सूची) या सूची 3 (समवर्ती सूची) में विनिर्दिष्ट किन्हीं प्रविष्टियों के अधीन आने वाले किसी विषय से संबंधित किसी सांख्यिकीय सर्वेक्षण से संबंधित है ;

(ख) केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार को सांख्यिकीय क्रियाकलापों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए, जो नियमों द्वारा बनाए जाएं, अपने अधिकारियों में से किसी एक को नोडल अधिकारी के रूप में अभिहित करना ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
9 मार्च , 2017

डी.वी. सदानंद गौड़ा

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 4 केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को अपने एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में अभिहित करने के लिए सशक्त करता है । चूंकि पहले से ही कार्य कर रहे समुचित पंक्ति के कर्मचारी नोडल अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किए जाएंगे, इसलिए उक्त प्रयोजन के लिए कोई अतिरिक्त व्यय उपगत नहीं करना होगा ।

2. विधेयक में कोई आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 4, केंद्रीय सरकार को किसी ऐसे नोडल अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों पर नियम बनाने के लिए सशक्त करता है, जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में ऐसे सांख्यिकीय क्रियाकलापों का समन्वय और पर्यवेक्षण करने के लिए अभिहित किया जाए ।

2. विधेयक का खंड 5 और खंड 6, केंद्रीय सरकार को, सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन सांख्यिकी अधिकारी या किसी व्यक्ति या अभिकरण द्वारा किसी सूचना का उपयोग करने की रीति से संबंधित नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

3. विधेयक का खंड 6, केंद्रीय सरकार को उक्त नियमों के पूर्व प्रकाशन की शर्त के साथ नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

4. वे विषय, जिनकी बाबत पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय है और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 7) से उद्धरण

* * * * * * *

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) * * * * * *

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

* * * * * * *

अध्याय 3

कतिपय दशाओं में सूचना का प्रकटन और उनके उपयोग पर निर्बन्धन

सूचना की सुरक्षा ।

9. (1) सांख्यिकी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति या अभिकरण को प्रस्तुत की गई कोई सूचना केवल सांख्यिकी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी ।

* * * * * * *

नियम बनाने की शक्ति ।

33. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

* * * * * * *

GMGIPMRND—4957LS(CRC)—10-3-2017.